WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

NOVEMBER 2024

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-4346686

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Gurubachan Malik

INDEX

- वेतन से कर कटौती को कम करेगा नया आयकर फॉर्म
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ जरूरी सुधारों के साथ नए ई-फाइलिंग पोर्टल 3.0 को लॉन्च करने के लिए तैयार.
- यूपी में बिजली शिकायतों के निस्तारण में ओटीपी व्यवस्था लागू होगी।
- सीनियर सिटिजन हेल्थ और टर्म इन्श्योरंस पर नहीं लगेगा GST! जल्द हो सकता है ऐलान, समझिए कितना फायदा होगा
- सरकार ने वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2024 के तहत जीएसटी कानून में किए गए संशोधनों के लिए प्रभावी तिथि अधिसूचित की
- जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया
- आधार से लेकर शेयर तक बदल जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े ये 6 नियम, जानें पूरी डिटेल
- Income Tax Department Collects Over Rs 13.57 Lakh Crore As Direct Tax For FY 2024-25
- UP govt extends generator subsidy for industries in NCR districts to switch to clean fuels
- SBI plans to enhance threshold limit under instant loan scheme for MSME sector
- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान
- 11 बिजली उपकेंद्र जोन प्रथम में किए जाएंगे शामिल
- कैबिनेट फैसला - उप्र माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी
- Income Tax: आयकर विभाग ने कुछ शर्तों के साथ करदाताओं को दी बड़ी राहत, कर देनदारी पर बकाया ब्याज होगा माफ
- यूपी में पान मसाला, गुटखा मशीन के रजिस्ट्रेशन पर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कंपनी मालिकों की उड़ी नींद!

वेतन से कर कटौती को कम करेगा नया आयकर फॉर्म

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नया फॉर्म 12बीएए जारी किया है, जिससे कर्मचारियों को अपने वेतन से टीडीएस की कटौती कम करने का मौका मिलेगा। कर्मचारी अन्य स्रोतों से काटे गए टीडीएस और टीसीएस की जानकारी...

नौकरी पेशा कर्मचारियों को अपने वेतन से होने वाली स्रोत पर कर यानी टीडीएस की कटौती लाने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसके लिए एक नया फॉर्म 12बीएए जारी किया है। अगर कर्मचारी हर महीने अपने वेतन से काटे जाने वाले टीडीएस की राशि को कम करना चाहते हैं उन्हें अपने नियोक्ता यह फॉर्म भरकर देना होगा। इस फॉर्म में उनके वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से काटे गए स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस की जानकारी देनी होगी। इसमें वह एफडी, इंश्योरेंस कमीशन, इक्विटी शेयर का डिविडेंड और कार आदि खरीदने पर दिए जाने वाले टैक्स की जानकारी दें सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन से होने वाली ज्यादा कटौती की समस्या का निदान करना है। इससे कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा वेतन उपलब्ध रहेगा और उन्हें खर्च या बचत करने के लिए अधिक पैसा मिलेगा।

बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों के वेतन से टीडीएस की कटौती में अन्य स्रोतों से काटे गए टीडीएस और टीसीएस को समायोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के लिए नकदी की समस्याओं को कम करना था। इस तरह के समायोजन से कर्मचारियों को टैक्स रिफंड का दावा करने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रक्रिया कर अनुपालन को सरल बनाएगी और आईटीआर की प्रोसेसिंग में भी तेजी आएगी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ जरूरी सुधारों के साथ नए ई-फाइलिंग पोर्टल 3.0 को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर ली है। यह पोर्टल इस्तेमाल में काफी आसान होगा और इसकी मदद से आयकर रिटर्न बेहद कम समय में दाखिल की जा सकेगी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने जा रहा है। इस संबंध में विभाग ने कुछ जरूरी सुधारों के साथ नए ई-फाइलिंग पोर्टल 3.0 को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर ली है। यह पोर्टल इस्तेमाल में काफी आसान होगा और इसकी मदद से आयकर रिटर्न बेहद कम समय में दाखिल की जा सकेगी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्कुलर के मुताबिक, वर्तमान में ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (आईईसी) 2.0 सिस्टम लागू है। नए प्रोजेक्ट के तौर पर आईईसी 3.0 को लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य तेज गति वाली आईटी तकनीकी को अपनाना है। इससे आईटीआर को वेरिफाई तथा प्रोसेस करने और रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को भी तेज रफ्तार मिलेगी।

पोर्टल में होंगे अहम बदलाव

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल लाने से पहले हितधारकों की राय ले रहा है, जिससे इसे करदाताओं के अनुकूल बनाया जा सके। उसने एक समिति भी बनाई है, जो तमाम मतों, सुझावों और विचारों की सूची बनाएगी, जिसके आधार पर पोर्टल में अहम बदलाव किए जाएंगे।

अभी कई तरह की समस्याएं

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा आईईसी 2.0 सिस्टम में कई बार तकनीकी समस्याएं देखने को मिलती हैं। पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने से उसकी गति धीमी हो जाती है। कई बार साइट क्रैश भी हो जाती है। इससे करदाताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई करदाता तय समयसीमा में रिटर्न दाखिल करने से भी चूक जाते हैं।

क्या है आईईसी प्रोजेक्ट

यह प्रोजेक्ट करदाताओं को ई-फाइलिंग मंच प्रदान करता है, जिसकी मदद से ऑनलाइन आयकर रिटर्न कहीं से भी दाखिल की जा सकती है। साथ ही कर मामलों से जुड़े अन्य फॉर्म को डाउनलोड करने और अन्य सेवाओं के इस्तेमाल की सुविधा भी मिलती है। करदाता अपने पुराने आईटीआर फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपी में बिजली शिकायतों के निस्तारण में ओटीपी व्यवस्था लागू होगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में तीन महीने के अंदर देंगी। शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर उपभोक्ता मुआवजे के लिए दावा कर सकेगा।

बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर-1912 पर उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली शिकायतों का फर्जी निस्तारण अब विभागीय अभियंता नहीं दिखा सकेंगे। फर्जी निस्तारण पर रोक के लिए ओटीपी व्यवस्था लागू होगी। बिजली कंपनियां ओटीपी व्यवस्था लागू करने का प्लान उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में तीन महीने के अंदर देंगी। शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर उपभोक्ता मुआवजे के लिए दावा कर सकेगा।

विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के आदेश में 1912 की शिकायतों के निस्तारण में ओटीपी व्यवस्था लागू करने को कहा है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने परिषद की इस मांग को पूरा करने पर नियामक आयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है। अब उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल पर शिकायत के तुरंत बाद सेल्फ जेनरेटेड ओटीपी जारी करनी होगी। उपभोक्ता शिकायत दूर होने के बाद बताएगे कि उनकी शिकायत दूर कर दी गई है। इसके बाद ही उसे क्लोज किया जा सकेगा। इस व्यवस्था से शिकायतों का निस्तारण भी सही होगा और शिकायतों का निस्तारण समय से नहीं होने पर उपभोक्ता मुआवजा के लिए दावा कर

सकेंगे। मुआवजे के लिए कहां कहें आवेदन इसकी विस्तृत जानकारी भी देनी होगी।

इसके साथ ही नियामक आयोग ने सिंगल प्वाइंट कनेक्शन लेकर बिल्डरों द्वारा उपभोक्ताओं के उत्पीड़न पर भी रोक लगाने की व्यवस्था दी है। उपभोक्ता को दिए जाने वाले बिल को सार्वजनिक करना होगा। बिजली दुर्घटनाओं होने पर निस्तारण और पीड़ित परिवार को मुआवजा कब और मिला कितना मिला, यह जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी। बिजली कंपनियों को ईमेल व्हाट्सएप व अन्य आनलाइन माध्यम से बिल की डिलीवरी की अनुमति दी गई है। जिसमें शर्त यह होगी कि बिलिंग की जानकारी के साथ ही उस पर बिल के लिए अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर होगा। जिससे गलत बिलिंग पर जवाबदेही तय हो सकेगी।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

सीनियर सिटिजन हेल्थ और टर्म इन्श्योरंस पर नहीं लगेगा GST! जल्द हो सकता है ऐलान, समझिए कितना फायदा होगा

काउंसिल ने पिछले महीने ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए एक 13 सदस्यी मंत्री समूह गठित की थी. इस समूह में सम्राट चौधरी के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री भी शामिल हैं.

टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान

टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कराते समय कई बार उसपर लगने वाला टैक्स (जीएसटी) आपकी टेंशन बढ़ा देता है. लेकिन जल्द ही आपको इससे राहत मिल सकती है. दरअसल, मंत्री समूह यानी जीओएम की शनिवार को हुई बैठक में इसपर एक सहमति बन गई है. इस बैठक के दौरान फैसला किया गया है कि पांच लाख रुपये तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस व टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा. बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की ओर से दिए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी कर मुक्त किए जाने पर बात हुई है. हालांकि, इसे लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता है. लेकिन माना जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह के इंश्योरेंस प्रीमियम को टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा.

वहीं, पांच लाख रुपये से ज्यादा के हेल्थ इंश्योरेंस पर पहले की तरह ही 18 फीसदी का टैक्स जारी रहेगा. सूत्रों के अनुसार से जीओएम की बैठक में सभी सदस्य बीमा प्रीमियम पर दरों में कटौती के लिए व्यापक रूप से सहमत हैं. बैठक के बाद जीओएम के संयोजक और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बैठक में लोगों को राहत देने को लेकर चुर्चा हुई.वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. हम जीएसटी काउंसिल को इस महीने के आखिर तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे. अंतिम निर्णय वहीं होगा.

आपको बता दें कि काउंसिल ने पिछले महीने ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के

प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए एक 13 सदस्यी मंत्री समूह गठित की थी. इस समूह में सम्राट चौधरी के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री भी शामिल हैं.

हेल्थ इंश्यूरेंस पर ऐसे मिलेगी राहत

मान कर चलिए कि 50 साल का कोई शख्स इस समय पांच लाख रुपये के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए करीब 27,500 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करता है. अगर ये नियम लागू हो गया तो अब उसे अपने इस प्रीमियम पर 4100 रुपये की जीसीटी नहीं देनी होगी. यानी अगले साल जब वह अपना प्रीमियम पे करेगा तो उसे 27,500 की जगह 24,400 रुपये का ही भुगतान करना होगा.

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 27432

सरकार ने वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2024 के तहत जीएसटी कानून में किए गए संशोधनों के लिए प्रभावी तिथि अधिसूचित की

यह कर अलर्ट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी हालिया अधिसूचना [1] का सारांश प्रस्तुत करता है , जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) और संबद्ध कानूनों में वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 के तहत किए गए संशोधनों के लिए प्रभावी तिथि को अधिसूचित करता है।

1 जुलाई 2017 से प्रभावी संशोधन:

- वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक आईटीसी का लाभ उठाने की समय सीमा 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई।
- किसी आईएसडी द्वारा 1 जुलाई 2017 से पहले प्राप्त किसी भी सेवा पर आईटीसी जीएसटी क्रेडिट के रूप में वितरण के लिए पात्र होगी, भले ही चालान उक्त तिथि से पहले प्राप्त हुए हों।

27 सितंबर 2024 से प्रभावी संशोधन:

- अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यों का विस्तार किया गया, जिसमें मुनाफाखोरी विरोधी मामलों की जांच या न्यायनिर्णयन भी शामिल किया गया।

1 नवंबर 2024 से प्रभावी किए गए संशोधन:

- वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिए गैर-धोखाधड़ी मामलों में लंबित मांगों के लिए ब्याज और जुर्माने में छूट प्रदान करने के लिए एमनेस्टी योजना, यदि संपूर्ण कर मांग को अधिसूचित तिथि तक चुका दिया जाता है।
- सामान्य प्रचलित व्यापार व्यवहार के परिणामस्वरूप न लगाए गए या कम लगाए गए

शुल्कों की वसूली न करने के संबंध में सरकार को सशक्त बनाया जाएगा।

- वित्त वर्ष 2024-25 से धोखाधड़ी और गैर-धोखाधड़ी दोनों मामलों में एससीएन और आदेश जारी करने के लिए आवेदन करने की सामान्य समयसीमा।

टिप्पणियाँ

- जीएसटी परिषद ने अपनी 54वीं बैठक में 31 मार्च 2025 की तारीख की सिफारिश की है, जिस दिन या उससे पहले धारा 128ए का लाभ उठाने के लिए कर का भुगतान करना आवश्यक होगा। एमनेस्टी योजना का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया और शर्तें प्रदान करने के लिए कुछ फॉर्म के साथ सीजीएसटी नियमों में नियम 164 को शामिल किया जाएगा। इस संबंध में एक परिपत्र जारी करने का भी प्रस्ताव है।

- परिषद ने धारा 148 के तहत आदेशों के सुधार के लिए विशेष प्रक्रिया जारी करने की भी सिफारिश की थी। यह उन करदाताओं के लिए है, जिन्हें धारा 16(4) के तहत निर्धारित समय सीमा से परे आईटीसी का गलत लाभ उठाने के लिए धारा 73, 74, 107 या 108 के तहत आदेश प्राप्त हुए थे, लेकिन अब धारा 16(5) और 16(6) के अनुसार स्वीकार्य है।

- जीएसटी से असंक्रमित ईएनए को बाहर रखा जाना संभावित है और इसलिए, पिछले मामलों के लिए विवाद अभी भी अनसुलझा है, जहां कई करदाताओं ने ईएनए की बिक्री पर कर का भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा, व्यवसायों को राज्य उत्पाद शुल्क और वैट कानूनों के तहत इसकी कर योग्यता का मूल्यांकन करना पड़ सकता है।

- सर्कुलर संख्या 224/18/2024 - जीएसटी के अनुसार, सीबीआईसी ने स्पष्ट किया है

कि जब तक जीएसटीएटी परिचालन शुरू नहीं कर देता, तब तक अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के अनुसार पुष्टि की गई मांग की राशि की वसूली पूर्व-जमा के बराबर राशि के भुगतान और अंडरटेकिंग दाखिल करने पर रोक रहेगी। 1 नवंबर 2024 के बाद, करदाता संशोधित पूर्व-जमा आवश्यकताओं के अनुसार उपरोक्त राशि की गणना कर सकते हैं।

- वर्तमान में, सीजीएसटी नियमों के नियम 47 में प्रावधान है कि नियम 46 में उल्लिखित चालान सेवा की आपूर्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा। स्व-चालान भी नियम 46 के दायरे में आता है। यह देखा जाना बाकी है कि स्व-चालान जारी करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली समयसीमा नियम 47 के अनुरूप होगी या नहीं।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है। यह गूगल प्लेट स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर और माई जियो से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप पर कई सुविधाएं मिलेगी। जिसमें यूपीआई से लेकर इंश्योरेंस तक की सुविधांए शामिल हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) सहयोगी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नए जियो फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है। जोकि गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर और माई जियो पर उपलब्ध है। बता दें, जियो फाइनेंस ऐप के बीटा वर्जन को लॉन्च किया गया था।

ये सर्विसेस हो रही हैं शुरू

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि ग्राहकों की तरफ से मिले फीडबैक के आधार पर कई नई सर्विसेज को बीटा लॉन्च के बाद जोड़ा गया है। जियो फाइनेंस ऐप ने बताया है कि अब म्युचुअल फंड्स लोन, होम लोन (बैलेंस ट्रांसफर के साथ) और प्रॉपर्टी के ऊपर लोन जैसी सर्विसेज शामिल किया गया है।

जियो फाइनेंस ऐप पर क्या-क्या सुविधाएं मिलेगी?

रिलायंस इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल सर्विसेज यूनिट ने बताया है कि ऐप पर लोन कुछ नियम और शर्तों के साथ मिलेगा। जिससे ग्राहकों की बचत हो सके। कंपनी के आधिकारिक बयान में कहा गया है, “ग्राहक अब जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के जरिए 5 मिनट के अंदर सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं।” कंपनी ने बताया है कि करीब 15 लाख लोग रोजाना जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के जरिए लेने देन कर रहे हैं।

ये सविधाएं भी हैं

यूपीआई पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज और क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान भी जियो फाइनेंस ऐप से किया जा सकता है। इसके अलावा जियो फाइनेंस ऐप अन्य बैंकों में ग्राहक की होल्डिंग और म्युचुअल फंड की होल्डिंग्स भी दिखाता है।

जियो फाइनेंस ऐप में मिलेगा इंश्योरेंस प्लान भी

जियो फाइनेंस ऐप पर लाइफ, हेल्थ, टू-व्हीलर्स और मोटर इंश्योरेंस खरीदा जा सकता है। इसके अलावा कंपनी ब्लैकरॉक के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए एक बेहतर निवेश प्लान पर भी काम कर रही है। बता दें, हाल ही में जियो फाइनेंशियर सर्विसेज और ब्लैकरॉक को सेबी की तरफ से म्युचुअल फंड बिजनेस शुरू करने की मंजूरी मिल गई है।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,
Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

आधार से लेकर शेयर तक बदल जाएंगे इनकम टैक्स से जुड़े ये 6 नियम, जानें पूरी डिटेल

इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आप चाहे नौकरीपेशा हों या बिजनसमैन, आपके ऊपर भी इन बदलावों का असर दिखाई देगा। ऐसे में आपके लिए इन नियमों के बारे में जानना जरूरी है। जानें, कौन से 6 नियम बदल रहे हैं:

हाइलाइट्स

- इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियम लागू होंगे
- इनमें आधार कार्ड, एसटीटी, टीडीएस दर आदि शामिल हैं
- सभी को इन बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है

लागू होंगे नए नियम

इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हो रहा है। इस साल जुलाई में पेश हुए बजट में इन नियमों के बारे में कहा गया था। जो बदलाव होंगे उनमें आधार कार्ड, एसटीटी, टीडीएस दर आदि शामिल हैं। कोई रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हो या पहली बार टैक्स फाइल करने जा रहा हो, सभी को इन नियमों में बदलाव के बारे में जानना चाहिए। इन नियमों के बारे में पता न होने पर कई तरह की परेशानियों में घिर सकते हैं।

लागू होंगे ये नियम

1. एसटीटी

जुलाई 2024 में पेश हुए बजट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) पर सिक्यूरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने की बात कही गई थी। फ्यूचर्स पर STT 0.02 फीसदी तक और ऑप्शंस पर 0.1 फीसदी तक बढ़ा दिया था। इसके अलावा शेयर बायबैक से हुई आय पर लाभार्थियों पर भी टैक्स लगेगा। यह संशोधन पारित हो गया है

–

2. आधार

आधार संख्या के बदले आधार नामांकन आईडी, आईटीआर में आधार और पैन आवेदनों का हवाला देने की अनुमति देने वाले प्रावधान एक अक्टूबर से लागू नहीं होंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि पैन दुरुपयोग और डुप्लिकेशन रोका जा सके।

3. शेयरों की पुनर्खरीद

शेयरों की पुनर्खरीद (बाय बैक) पर डिविडेंड्स की तरह ही शेयरहोल्डर लेवल के टैक्स लागू होंगे। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी कैपिटल गेंस या लॉस की गणना करते समय इन शेयरों के शेयरधारक की अधिग्रहण लागत को भी ध्यान में रखा जाएगा।

4. फ्लोटिंग रेट बॉन्ड टीडीएस

बजट 2024 में यह घोषणा की गई थी कि

फ्लोटिंग रेट बॉन्ड सहित कुछ केंद्रीय और राज्य सरकार के बॉन्ड से 10 फीसदी की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी। अगर पूरे साल में रेवेन्यू 10 हजार रुपये से कम है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

5. टीडीएस दरें

धारा 19डीए, 194एच, 194-आईबी और 194एम के तहत भुगतान के लिए टीडीएस दर 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दी गई। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस दर एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दी गई है। ये नई दरें भी एक अक्टूबर से लागू हो जाएंगी।

6. डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स विवादों के मामलों में लंबित अपीलों का निपटान करने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024 की घोषणा की है। इसे डीटीवीएसवी 2024 के रूप में भी जाना जाता है। यह योजना एक अक्टूबर से लागू होगी। इसमें 'पुराने अपीलकर्ता' की तुलना में 'नए अपीलकर्ता' के लिए कम निपटान राशि का प्रावधान है।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

Income Tax Department Collects Over Rs 13.57 Lakh Crore As Direct Tax For FY 2024-25

The Income Tax Department has collected over 13.57 lakh crore rupees as direct tax for the financial year 2024-25 so far. The collection includes personal income tax of over seven lakh crore rupees and corporate tax of over six lakh crore rupees. The department has also issued refunds of over 2.31 lakh crore rupees till yesterday. The net direct tax collection has recorded a significant growth of over 18 per cent amounting to over 11.25 lakh crore rupees.

UP govt extends generator subsidy for industries in NCR districts to switch to clean fuels

The Uttar Pradesh government has announced the extension of its generator subsidy for polluting industries in NCR districts for an additional five years starting from October, TOI reported. This measure aims to support industries in aligning with the Commission for Air Quality Management’s (CAQM) winter action plan.

In 2019, a five-year subsidy was introduced to assist industry owners in switching to cleaner fuels due to the high costs of conversion affecting production.

Sreenath Paswan, deputy commissioner of industries in Ghaziabad, said, "From Oct 1 this year, the scheme is being extended for another five years. Under this, a 50% subsidy or Rs 5 lakh (whichever is less) will be given to micro and small-scale industrial units to purchase or retrofit generators that will operate on cleaner fuel like LPG, natural gas, biogas, propane, and butane." The subsidy is divided into categories. Those buying generators costing between Rs 10-40 lakh will receive a 40% subsidy or Rs 10 lakh, whichever is less. For generators costing over Rs 40 lakh, a 25% subsidy or Rs 20 lakh will be provided.

Ghaziabad has 296 industries that rely on biofuels such as wood pellets, molasses, husk, and coal, contributing to poor air quality in winter. Factories have resisted switching to cleaner fuels due to high conversion costs. A factory owner expressed concerns, stating, "Using PNG will force us to hike the cost of a finished product. So, it becomes very difficult for small units to survive in the market. The cost of converting diesel generator sets to PNG is also very high. In addition, industries must pay a security deposit which, though refundable, is also high. A minimum deposit of Rs 1.2 lakh is needed for availing PNG services. The amount increases in keeping with the load."

Paswan emphasized that the subsidy aims to alleviate some of these costs. He encouraged industries to apply for the scheme, saying, "This scheme has been devised precisely for the benefit of industries. The subsidy is given to recover some of the costs that arise because of conversion."

However, environmentalists argue that many unregistered factories operate illegally on biofuels, undermining pollution control efforts.

Environmentalist Sushil Raghav said, "There are thousands of industries across Ghaziabad — especially in Loni — that not only operate illegally but also use bad fuel to operate generators. These are far more polluting. The pollution control board has no data or clear-cut plan to deal with such illegally operating industries. So, a govt scheme like this will have no real effect on cutting down pollution levels in the city." Despite these challenges, a pollution board official reported improvements in air quality over the years. "The annual average PM2.5 level since 2017-18 improved from 164.2 to 77.8 in 2023. In 2024, the same figures from April 1 to Sept 19 were recorded at 45.83. Likewise, PM10 also came down to 137.5 in 2024-2025 from 372 in 2017-18," the official said.

"The annual average AQI in 2017-18 was 272.5, which improved to 128.1 till Sept this year. All this was possible because of concerted efforts of all stakeholders over the years," he added.

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.
Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

SBI plans to enhance threshold limit under instant loan scheme for MSME sector

To ensure easy and adequate credit availability to the MSME sector, the State Bank of India (SBI) is planning to enhance the threshold under the instant loan scheme from the existing Rs 5 crore. 'MSME Sahaj - End to End Digital Invoice Financing', provides solutions ranging from applying for the loan, documentation and disbursement of the sanctioned loan within 15 minutes, without any manual intervention.

"We have, last year, introduced a business rule engine based, data based assessment of the credit limits up to Rs 5 core. Anybody walking into our MSME branch has to give only their PAN and approval for sourcing GST data, we can give approval in 15-45 minutes," SBI Chairman C S Setty told PTI in an interview. Simplification of the MSME credit is something that the bank is emphasising on and making lending cash flow based backed by the CGTMSE guarantee, he said. This reduces the need for collateral, which would enable a lot of people to come into the formal MSME borrowing system, he said.

"We still have a large number of MSME customers accessing the informal credit. We would like to bring them to the banking fold," he said. As far as network expansion is concerned, Setty said SBI is planning to open 600 branches across the country in the current financial year.

SBI has a network of 22,542 branches across the country as of March 2024.

"We have strong branch expansion plans... this would be mainly focused on emerging areas. A lot of residential colonies are not covered by us. Around 600 branches is something we are planning in the current year," he said.

Apart from a vast branch network, SBI reaches its customers through 65,000 ATMs and 85,000 business correspondents.

"We serve about 50 crore customers and we take pride in saying that we are the banker to every Indian, and, more importantly, to every Indian family," he said.

He also said it will be his endeavour to transform SBI into the best and the most valued bank not only from a shareholder point of view but for every stakeholder who deals with the lender.

"It could be my customers, it could be our shareholders, it could be the larger ecosystem -- the society, the institutional framework -- all the stakeholders should be saying that this is the best bank to deal with," he added.

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

हाल ही में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने क्षेत्र में वायु प्रदूषण के समाधान हेतु मौजूदा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) **में संशोधन की** घोषणा की है।

- संशोधित GRAP में **लक्षित कार्रवाइयाँ शामिल हैं** जिन्हें एक **निश्चित सीमा से अधिक प्रदूषण होने** पर दिल्ली के AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) जैसी ज़िम्मेदार/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा **किये जाने की आवश्यकता है।**
- इससे पहले जर्नल नेचर में प्रकाशित एक रिसर्च में बताया गया है कि **वर्ष 2018-2021 के दौरान** भारतीय वायु प्रदूषण में मानव-प्रेरित प्रदूषण का अधिकतम स्तर देखा गया है। इस रिसर्च का शीर्षक था **"सेंटिनल-5पी और गूगल अर्थ इंजन का उपयोग मशीन लर्निंग-आधारित देश-स्तरीय वार्षिक वायु प्रदूषक अन्वेषण"।**

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP):

- **परिचय:**
  - EPCA को भंग कर वर्ष 2020 में **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)** द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था।
  - CAQM **भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और**
  -
  - GRAP **आपातकालीन उपायों का एक समूह** है जो दिल्ली-NCR क्षेत्र में **एक निश्चित सीमा तक पहुँचने के बाद** वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को रोकने के लिये लागू होता है।
  - **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2016)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वर्ष 2016 में इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2017 में अधिसूचित किया गया था।
- **कार्यान्वयन:**
  - वर्ष 2021 से GRAP को **CAQM** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
    - वर्ष 2020 तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त **पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA)** राज्यों को GRAP उपायों को लागू करने का आदेश देता था।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा वायु गुणवत्ता तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमानों पर निर्भर करता है।	

- **संशोधन:**

○ **चरण I [खराब (Poor)- AQI 201-300]:** अधिक पुराने डीज़ल/पेट्रोल वाहनों पर NGT/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करें। ○ **चरण II [बहुत खराब (Very Poor)- AQI 301-400]:** क्षेत्र में चिह्नित	हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिये लक्षित कार्रवाई। NCR के सभी क्षेत्रों में डीज़ल जेनरेटर का विनियमित संचालन निर्धारित किया गया
○ **चरण III [गंभीर (Severe)- AQI 401-450]:** कुछ क्षेत्रों में BS III पेट्रोल और BS IV डीज़ल चार पहिया वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा तथा कक्षा 5 तक प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिये	स्कूलों में शारीरिक रूप से उपस्थिति वाली कक्षाएँ निलंबित हो सकती हैं।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

- **चरण IV [गंभीर प्लस (Severe Plus)- AQI 450 से अधिक]:** जब AQI 450 से अधिक हो जाता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों, CNG वाहनों तथा BS-VI डीज़ल वाहनों और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत चार पहिया वाहनों को **शहरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

पेंशन को लेकर है समस्या तो संपर्क करें

यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से मासिक पेंशन रूक गई है या पेंशन आदि को लेकर कोई समस्या है तो ईपीएफओ आपको एक सुविधा दे रहा है। आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा।

सहायक भविष्य निधि आयुक्त ने बताया कि किसी सहायता के लिए 0121-2604637/2603034 पर अथवा जागृति विहार स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

ईमेल- ro. meeruta epfindia. gov. in पर मेल कर सकते हैं।

STAG INTERNATIONAL

Manufacturers & Exporters of:

Sports Goods

A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103

Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035

Fax: 0121-2441009

Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

अब हस्ताक्षर तो होंगे, लेकिन वे दिखेंगे नहीं

डीएम और सभी एडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों पर उनके हस्ताक्षर न मिले तो चौंकिएगा नहीं। इन आदेशों को डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल ई-आफिस व्यवस्था को जिला प्रशासन ने लागू कर दिया है। कलक्ट्रेट में जहां सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के डिजिटल हस्ताक्षर तैयार हो गए हैं वहीं डीएम और सभी एडीएम कार्यालयों को ई-आफिस बना दिया गया है। अब इन अधिकारियों द्वारा कोई भी आदेश आनलाइन और डिजिटल हस्ताक्षर से ही जारी किया जा रहा है। ई-आफिस व्यवस्था लागू होने से अधिकारियों के अवकाश, कोई भी भुगतान भी आनलाइन ही किए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार का सरकारी विभागों के कार्यालयों में ई-आफिस व्यवस्था जल्द से करने पर जोर है।

जिला प्रशासन ने कलक्ट्रेट के कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू कर दी है। व्यवस्था के तहत जिलाधिकारी, एडीएम प्रशासन, एडीएम सिटी, एडीएम भूमि अध्याप्ति और एडीएम

न्यायिक कार्यालयों ने ई-आफिस के रूप में काम शुरू कर दिया है। ये अधिकारी सभी आदेश आनलाइन जारी कर रहे हैं वो भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ। न्यायिक कार्यों को छोड़कर अब यहां सभी फाइलें आनलाइन ही संचालित की जा रही हैं। इन फाइलों में अनुमति, अधिनस्थ अफसरों को जारी होने वाले आदेश, अधिकारियों के अवकाश आदि

VK TYRE INDIA LIMITED

Manufacturers & Exporters of:

Automobile & Agriculture Tyres

Sybly Industrial Area, Pawanpuri,Muradnagar- 201206

Mob. No.: 9568129777, 7900200100

Email: info@vktyre.com

Website: www.vktyre.com

शामिल हैं। एसीएम और तहसीलों में एसडीएम कार्यालयों को अभी इस,व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर तैयार कराने के साथ-साथ इसके लिए कई बार प्रशिक्षण भी दिया गया। कलक्ट्रेट कर्मचारियों को अवकाश मानव संपदा पोर्टल से ई-आफिस के साथ साथ कलक्ट्रेट कर्मचारियों के अवकाश की व्यवस्था को भी आनलाइन कर दिया गया है। अब कलक्ट्रेट के कर्मचारी अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति अवकाश मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही ले सकेंगे।

11 बिजली उपकेंद्र जोन प्रथम में किए जाएंगे शामिल

ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले 11 बिजली उपकेंद्र पुनर्गठन के बाद शहरी क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। वहीं शहरी क्षेत्र में आने वाले चार उपकेंद्र ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में 38,335 नए उपभोक्ता शामिल हो जाएंगे। उद्योगपुरम प्रथम और द्वितीय जिनका मेंटीनेंस और बिलिंग अभी तक जोन दो अर्थात ग्रामीण के अंतर्गत हो रही था अब मेरठ साउथ जोन के अंतर्गत आ जाएंगे। जनपद में वर्तमान में दो जोन है जोन प्रथम शहरी क्षेत्र और जोन टू ग्रामीण क्षेत्र है।

मेरठ जोन प्रथम में 33/11 केवी के वर्तमान में 52 बिजली उपकेंद्र है। 15 नवंबर से होने वाले पुनर्गठन (रीस्ट्रक्चरिंग) के बाद इनकी संख्या 59 हो जाएगी। जोन वन में अभी 3,47,555 उपभोक्ता हैं पुनर्गठन होने के बाद यह संख्या 3,86,000 हो जाएगी। 11 बिजली उपकेंद्र के शामिल होने से 48535 उपभोक्ता जोन टू से अब जोन वन में आ जाएंगे। वहीं चार बिजली उपकेंद्र के 16,439 उपभोक्ता जोन टू में स्थानांतरित हो जाएंगे। मेरठ नार्थ पर 30 बिजली उपकेंद्र के 2,25,944 उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति व्यवस्था करने का जिम्मा होगा। वहीं साउथ के 29 बिजली उपकेंद्र से 1,60,056 उपभोक्ता संबद्ध होंगे। पल्लवपुरम फेज वन और टू नार्थ में और शताब्दी नगर* शहरी क्षेत्र जोन वन में अब हो जाएंगे 3,86,000 उपभोक्ता

* बढ़ जाएंगे 48,535 उपभोक्ता, चार उपकेंद्र ग्रामीण में स्थानांतरित होंगे

यह बिजली उपकेंद्र शहरी क्षेत्र में शामिल होंगे

* शताब्दी नगर सेक्टर दो
* शताब्दी नगर सेक्टर चार
* शताब्दी नगर सेक्टर पांच
* पल्लवपुरम फेज वन
* पल्लवपुरम फेज टू

*उद्योगपुरम वन उद्योगपुरम टू मलियाना प्रथम

* वेदव्यासपुरी

यह बिजली उपकेंद्र जोन टू में शामिल होंगे
* अम्हेड़ा
* सैनी
* नंगला शेखु
ललसाना
सेक्टर तीन, चार और पांच मेरठ साउथ में शामिल होंगे। यह इलाके शहरी क्षेत्र में थे इसके बावजूद इनकी बिजली आपूर्ति जोन टू से संचालित हो रही थी। इन्हें शहरी क्षेत्र में शामिल करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। उपभोक्ताओं की समस्या का तुरंत और प्रभावी निस्तारण हो इसी लिए पुनर्गठन की रूप रेखा मुख्यालय ने बनाई गई है। इससे स्टाफ की भी कार्य क्षमता का बेहतर उपयोग हो। सकेगा।

कैबिनेट फैसला - उप्र माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी

राज्य सरकार ने पान मसाला, तंबाकू और गुटखा समेत इस तरह के संवेदनशील उत्पाद बनाने कंपनियों के लिए मशीनों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसी कंपनियों को राज्य जीएसटी में इसका पंजीकरण कराना होगा और रिटर्न दाखिल करते समय इसकी पूरी जानकारी उसमें देनी होगी कि कितनी मशीनों से कितना उत्पाद बनाया गया। पंजीकरण न कराने वाली कंपनियों पर प्रति मशीन के हिसाब से एक लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। केंद्र सरकार ने जीएसटी में इसका प्रावधान किया है। इसके आधार पर राज्यों को अपने यहां इसकी व्यवस्था करनी थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश-2024 को मंजूरी के लिए रखा गया। इसमें मशीनों को पंजीकरण के दायरे में लाने के लिए विशेष प्रक्रिया धारा -122 ‘क के अधीन व्यवस्था की गई है। जो भी कंपनियां इसका उल्लंघन करेगी, उसे प्रत्येक मशीन के लिए एक लाख रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

इसके साथ ही मशीन सील कर दी जाएगी। पंजीकरण और जुर्माना राशि अदा करने के बाद इसे तीन दिन में वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा दो धाराओं धारा-2 (61) और धारा-20 में संशोधन किया गया

है। धारा-2 (61) में संशोधन के माध्यम से इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा में संशोधन किया गया है। इसके माध्यम से आईटीसी के दायरे को विस्तार दिया गया है। इससे जीएसटी पंजीकरणधारकों को राहत मिलेगी।

Income Tax: आयकर विभाग ने कुछ शर्तों के साथ करदाताओं को दी बड़ी राहत, कर देनदारी पर बकाया ब्याज होगा माफ

आयकर विभाग ने कहा, आयकर अधिनियम की धारा-220(2ए) के तहत अगर कोई करदाता किसी मांग नोटिस के मामले में कर चुकाने में विफल रहता है, तो उसे भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए हर महीने एक फीसदी की दर से ब्याज भरना होगा।

आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कुछ खास शर्तों के साथ टैक्स अधिकारियों को बकाया ब्याज माफ करने या कम करने की अनुमति दे दी है। इसके तहत, इस दायरे में आने वाले करदाताओं को 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की रियायत मिल सकती है।

आयकर विभाग ने कहा, आयकर अधिनियम की धारा-220(2ए) के तहत अगर कोई करदाता किसी मांग नोटिस के मामले में कर चुकाने में विफल रहता है, तो उसे भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए हर महीने एक फीसदी की दर से ब्याज भरना होगा। हालांकि, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त रैंक के अधिकारी इस बकाया ब्याज राशि को कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। यह अधिनियम इन अधिकारियों को देय ब्याज राशि को कम करने या माफ करने का अधिकार देता है। नांगिया एंड कंपनी एलएलपी साझेदार सचिन गर्ग ने कहा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के इस कदम से ब्याज में छूट या कमी के लिए करदाता की ओर से किए

गए आवेदनों का शीघ्र निपटान करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

पूरी करने होंगी तीन शर्तें

- ऐसी राशि के भुगतान से करदाता को वास्तविक कठिनाई हुई है या होगी।
- ब्याज भुगतान में चूक करदाता के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुई थी।
- करदाता ने कर निर्धारण से जुड़ी जांच में या उससे देय किसी राशि की वसूली की कार्यवाही में सहयोग किया है।

जानिए...कौन अधिकारी दे सकता है कितनी राहत

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जारी सर्कुलर में कहा, आयकर अधिनियम की धारा-220(2ए) के तहत प्रधान मुख्य आयुक्त रैंक का अधिकारी 1.50 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ब्याज को माफ कर सकता है या कम कर सकता है।

- मुख्य आयुक्त रैंक के अधिकारी 50 लाख रुपये से 1.5 करोड़ रुपये तक के बकाया ब्याज के लिए छूट/कटौती का फैसला करेगा।
- प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त रैंक के अधिकारी 50 लाख रुपये तक के बकाया ब्याज पर छूट देने या माफ करने का फैसला कर सकते हैं।

शर्तों में कोई बदलाव नहीं, बढ़ेगी पारदर्शिता

सचिन गर्ग ने कहा, यह ध्यान देने योग्य बात है कि आयकर अधिनियम की धारा-220 के तहत ब्याज में ऐसी कमी या छूट की मांग करने के लिए जिन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं, एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा, आयकर विभाग के इस कदम से ब्याज राहत देने में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

आयात-निर्यात धोखाधड़ी मामलों की जांच एक साल में पूरी करें अधिकारी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क अधिकारियों से निर्यात/आयात धोखाधड़ी के मामलों में पत्र या समन जारी करते समय चल रही पूछताछ की विशिष्ट प्रकृति का खुलासा करने और एक साल के भीतर जांच पूरी करने को कहा है। सीबीआईसी ने कहा, अधिकारियों को माल के आयात या निर्यात में कर चोरी की जांच के दौरान संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए।

- सीबीआईसी ने अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा, जांच शुरू करने से पहले आयातक या निर्यातक के साथ इंटरफेस को कम करने के लिए सभी सूचनाओं का विश्लेषण और उपलब्ध आंकड़ों की दोबारा जांच की जाए।

- आयुक्तालय की सीमा के भीतर किसी भी खुफिया जानकारी, जांच, उसके पूरा होने और अनुमोदित करने के लिए आयुक्त जिम्मेदार होगा।

यूपी में पान मसाला, गुटखा मशीन के रजिस्ट्रेशन पर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, कंपनी मालिकों की उड़ी नींद!

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी। अब तक केंद्र सरकार ने जीएसटी में मशीनों का पंजीकरण कराने और ऐसा न करने पर जुर्माना लगाने का प्राविधान किया है। इसी के आधार पर सभी राज्यों को अपने यहां भी मशीनों के पंजीकरण और उनसे होने वाले उत्पादन के आधार पर टैक्स लगाने की व्यवस्था को लागू करना था।

1. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2024 को मिली स्वीकृति
2. पान मसाला, गुटखा मशीन का पंजीकरण न कराने पर एक लाख रुपये जुर्माना -

तंबाकू, पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनियों के लिए जीएसटी की चोरी करना आसान नहीं होगा। अब इस तरह के संवेदनशील उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को राज्य जीएसटी में भी अपनी मशीनों का पंजीकरण कराना होगा। हर मशीन के उत्पादन का विवरण रिटर्न दाखिल करते हुए देना होगा। पंजीकरण न कराने पर हर मशीन पर एक लाख रुपये राज्य कर विभाग जुर्माना लगा सकता है।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी। अब तक केंद्र सरकार ने जीएसटी में मशीनों का पंजीकरण कराने और ऐसा न करने पर जुर्माना लगाने का प्राविधान किया है। इसी के आधार पर सभी राज्यों को अपने यहां

भी मशीनों के पंजीकरण और उनसे होने वाले उत्पादन के आधार पर टैक्स लगाने की व्यवस्था को लागू करना था। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2024 को कैबिनेट से स्वीकृति दिलाकर नई धारा-122 क को जोड़ा गया है। इसके तहत जो कंपनियां इस धारा का उल्लंघन करेंगी, उन पर प्रति मशीन एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही मशीन को सील भी कर दिया जाएगा।

पंजीकरण और जुर्माना राशि जमा करने के तीन दिन बाद मशीन को सीलमुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा धारा- 2 (61) और धारा-20 में संशोधन किया गया है। धारा- 2 (61) में संशोधन करके इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा में बदलाव करके आइटीसी को विस्तार दिया गया है।

SAI ELECTRICALS

Dealing in:

Transformer & Servo

Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001

Mob. No.: 7533900800, 9927869400

E-mail: info@saielectricals.com Website: www.saielectricals.com

****